

न्यायालय:-उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला-सलुम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस  
प्रकरण संख्या 60/2021 रा.वा.  
जी.सी.एम.एस.नम्बर-2021/7  
उनवान

1. श्री लालुराम उर्फ लालीया पिता कचरा मेघवाल उम्र बालिग
2. श्री पुजा पिता कचरा मेघवाल उम्र बालिग  
निवासीयान खीरावाडा तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर।

-वादीगण

बनाम

1. श्री भाणा पिता भेरा मेघवाल उम्र बालिग
2. श्री रामा पिता मोडा मेघवाल उम्र बालिग
3. श्री गोवना पिता रोडा मेघवाल उम्र बालिग  
सभी निवासी खीरावाडा तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर।
4. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार सलुम्बर जिला सलुम्बर

-प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-::निर्णय::-

दिनांक:- 24/12/2025



उपस्थिति: श्री राजकुमार जैन अधिवक्ता-वादीगण  
श्री गोपाल चौबीसा अधिवक्ता-प्रतिवादी सं. 2 व 3  
प्रतिवादी संख्या 1 एक पक्षीय

वादीगण ने वाद बाबत् पांती बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण मे निर्णय दिनांक 06-02-2024 द्वारा प्रकरण मे बंटवाडे की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट तहसीलदार सलुम्बर के पत्रांक 711 दिनांक 10-10-2025 से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट का अवलोकन उभयपक्षकारान को करवाया गया। वकील उभयपक्ष ने प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर करते हुए माफिक पालना रिपोर्ट प्रकरण मे बंटवाडे की अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

अतः उभयपक्षकारान को सुनने व पालना रिपोर्ट के अवलोकन उपरान्त मौजा बारा पटवार हल्का बरोडा तहसील सलुम्बर की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 के खाता संख्या 162 कुल कित्ता 15 रकबा 1.87 हैक्टेयर आराजीयात की भूमि मे निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री मुर्तिब किये जाने के आदेश दिये जाते हैं-

सहायक कलेक्टर सलुम्बर  
जिला सलुम्बर

1. खातेदार का नाम- पुंजा पिता कचरा हिस्सा 1/2, लालीया पिता कचरा 1/2 मेघवाल सा. खातेदार

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म भूमि	लगान
1	511	0.23	मगरी	0.07
2	519	0.16	भुरे	0.46
3	509	0.12	भुरे	0.35
4	510	0.14	भुरे	0.25
5	518	0.15	भुरे	0.44
योग	किता-05	0.80 है.	-	1.57 रु.

2. खातेदार का नाम- रामा पिता रोडा मेघवाल हिस्सा 1/2, गोवना पिता रोडा मेघवाल हिस्सा 1/2

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म भूमि	लगान
1	530	0.14	मगरी	0.04
2	528	0.09	मगरी	0.03
3	531	0.10	नाली	0.15
4	527	0.08	भुरे	0.26
5	525	0.0650	भुरे	0.20
6	524	0.0650	भुरे	0.20
योग	किता 4	0.54 है.	-	0.88 रु.

3. खातेदार का नाम- भाणा पिता भेरा मेघवाल रहीन एस.बी.बी.जे शाखा सलुम्बर

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म भूमि	लगान
1	516	0.14	मगरी	0.04
2	526	0.16	भुरे	0.46
3	532	0.05	भुरे	0.15
4	517	0.12	भुरे	0.41
योग	किता 4	0.47 है.	-	1.06 रु.

4. खातेदार का नाम- रामा गोवना पिता रोडा हिस्सा 1/2, भाणा पिता भेरा हिस्सा 1/2 जाति मेघवाल संयुक्त रूप रास्ते हेतु निम्न आराजी नम्बर शामिल रखे जाते हैं -

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा	विवरण
1	528/1	0.01	रास्ता
2	516/1	0.01	रास्ता
3	517/1	0.01	रास्ता
4	517/2	0.01	रास्ता
5	525/1	0.005	रास्ता
6	524/1	0.005	रास्ता
7	527/1	0.01	रास्ता
योग	किता 07	0.06 है.	-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर जिला -सलुम्बर

बजरिये:- श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.

वाद संख्या-60/2021

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट.

उनवान-श्री लालुराम उर्फ लालीया वनाम श्री भाणा

पालना रिपोर्ट क्रमांक 711 दिनांक 10-10-2025 एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस उक्त निर्णय जूज हिस्सा है। नोट-बैंक रहन संबंधित खातेदार की आराजीयात की भूमि पर बदस्तुर रहेगा। माफिक निर्णय अंतिम डिक्री जारी की जाकर पालार्थ तहसीलदार सलुम्बर को निर्णय एवं डिक्री की एक प्रति को भेजी जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय दिनांक 24/12/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर  
सहायक कलेक्टर सलुम्बर  
जिला सलुम्बर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश-20 के नियम-6 और 7)

न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला-सलुम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 60/2021 रा.वा.

जी.सी.एम.एस.नम्बर-2021/7

उनवान

1. श्री लालुराम उर्फ लालीया पिता कचरा मेघवाल उम्र बालिग
2. श्री पुजा पिता कचरा मेघवाल उम्र बालिग  
निवासीयान खीरावाडा तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर।

बनाम

-वादीगण

1. श्री भाणा पिता भेरा मेघवाल उम्र बालिग
2. श्री रामा पिता मोडा मेघवाल उम्र बालिग
3. श्री गोवना पिता रोडा मेघवाल उम्र बालिग  
सभी निवासी खीरावाडा तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर।
4. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार सलुम्बर जिला सलुम्बर

-प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक:- 24/12/2025

वादीपत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री राजकुमार जैन एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से एडवोकेट श्री गोविन्दलाल डांगी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की एक पक्षीय उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 24/12/25 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है कि मौजा बारा पटवार हल्का बरोडा तहसील सलुम्बर की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 के खाता संख्या 162 कुल किता 15 रकबा 1.87 हैक्टेयर आराजीयात की भूमि में निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री मुर्तिब किये जाने के आदेश दिये जाते हैं-

1. खातेदार का नाम- पुंजा पिता कचरा हिस्सा 1/2, लालीया पिता कचरा हिस्सा 1/2 मेघवाल सा. खातेदार



क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म भूमि	लगान
1	511	0.23	मगरी	0.07
2	519	0.16	भुरे	0.46
3	509	0.12	भुरे	0.35
4	510	0.14	भुरे	0.25
5	518	0.15	भुरे	0.44
योग	किता-05	0.80 है.	-	1.57 रु.

2. खातेदार का नाम- रामा पिता रोडा मेघवाल हिस्सा 1/2, गोवना पिता रोडा मेघवाल हिस्सा 1/2 सा. खातेदार

सहायक कलक्टर सलुम्बर  
जिला सलुम्बर

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म भूमि	लगान
1	530	0.14	मगरी	0.04
2	528	0.09	मगरी	0.03
3	531	0.10	नाली	0.15
4	527	0.08	भुरे	0.28
5	525	0.0650	भुरे	0.20
6	524	0.0650	भुरे	0.20
योग	किता 4	0.54 है.	-	0.88 रु.

3. खातेदार का नाम- भाणा पिता भेरा मेघवाल रहीन एस बी बी जे शाखा सलुम्बर

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म भूमि	लगान
1	516	0.14	मगरी	0.04
2	526	0.16	भुरे	0.46
3	532	0.05	भुरे	0.15
4	517	0.12	भुरे	0.41
योग	किता 4	0.47 है.	-	1.06 रु.

4. खातेदार का नाम- रामा गोवना पिता रोडा हिस्सा 1/2. भाणा पिता भेरा हिस्सा 1/2 जाति मेघवाल संयुक्त रूप रास्ते हेतु निम्न आराजी नम्बर शामिल की रखे जाते हैं -

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा	विवरण
1	528/1	0.01	रास्ता
2	516/1	0.01	रास्ता
3	517/1	0.01	रास्ता
4	517/2	0.01	रास्ता
5	525/1	0.005	रास्ता
6	524/1	0.005	रास्ता
7	527/1	0.01	रास्ता
योग	किता 07	0.06 है.	-

प्रस्तावित नक्शा ट्रेस उक्त डिक्री का जूज हिस्सा है। नोट-बैंक रहन संबंधित खातेदार की आराजीयात की भूमि पर बदस्तुर रहेगा। फालार्थ तहसीलदार सलुम्बर को डिक्री की एक प्रति को भेजी जावे।

यह डिक्री आज तारीख 23/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(जमदीश चन्द्र बामनिया आर.एस.)

सहायक कलक्टर  
सहायक सलुम्बर  
जिला सलुम्बर



वाद के खर्चे

	रुपये	पैसे	प्रतिवादी	रुपये	पैसे
1 कलक्टर के लिए स्टाम्प	01	-	शक्ति-पत्र के लिए स्टाम्प	01	-
2 न्यायालय के लिए स्टाम्प	01	-	अर्जी के लिए स्टाम्प	-	-
3 पत्रिका के लिए स्टाम्प	01	-	प्लीडर की फीस	-	-
4 रूपयेपरलीडर की फीस	-	-	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	-	-
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	-	-	आदेशिका की तामील	-	-
6 कमिश्नर की फीस (तलवाना)	02	-	कमिश्नर की फीस	-	-
7 आदेशिका की तामील	-	-		-	-
योग	06	-	योग	01	-